<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाह्य न्यायालय मोहम्मदी खीरी</u>
<u>प्रकीर्ण वाद सं0–1119 / 2023</u>
<u>CNR No UPLP10001874-2021</u>

सरीफ बनाम अज्ञात

मु0अ0सं0–06 / 2019
थाना–मोहम्मदी खीरी।
अन्तिम रिपोर्ट सं0–70 / 2019

<u>दिनांक 08.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु वादी मुकदमा उपस्थित नहीं है, न ही वादी की तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अतः आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उपरोक्त मामले में पीड़िता ने अपने बयान में यह कथन किया है कि उसकी उसके पति से पटती नहीं थी। वह अपनी मर्जी से गयी थी, जिसके आधार पर विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अवलोकन से दर्शित है कि विवेचक द्वारा विवेचना सही प्रकार से की गयी है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

मु0अ0सं0–06 / 2019 में प्रेषित अन्तिम आख्या सं0–70 / 2019 इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है। भविष्य में प्रश्नगत मामले में वादी के संबंध में किसी भी जानकारी के प्राप्त होने की स्थिति में प्रकरण को परिवाद के रुप में संचालित किया जा सकेगा। पत्रावली तद्नुसार निस्तारित। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रद्धा भारतीय)
(J.O Code-UP1964)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी खीरी